भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1236

दिनांक **27 जुलाई, 2022** को उत्तरार्थ

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) योजना के अंतर्गत प्रगति

1236. श्री राजमणि पटेल:
डा. एल. हनुमंतय्याः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021 से इस योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है;

(ग) वर्ष 2021 से इस योजना के अंतर्गत पहचान की गई और संबद्ध भूमि जोतों की सीमा के संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) देश भर में इस योजना के पूरे होने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (घ): विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली को 21.07.2022 की स्थिति के अनुसार, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामतः आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, तमिलनाडु, पंजाब तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में आंशिक रूप से अपनाया/आरंभ किया गया है। इसके अलावा, यूएलपीआईएन का, 8 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामतः कर्नाटक, केरल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, मणिपुर, तेलंगाना और लद्दाख में, प्रायोगिक परीक्षण पूरा किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूएलपीआईएन के प्रायोगिक परीक्षण के लिए तकनीकी सहायता, भूमि संसाधन विभाग की एनआईसी टीम द्वारा प्रदान की जाती है।

यूएलपीआईएन को अपनाना और इसे आरंभ करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 और 45 के अनुसार, भूमि और उसका प्रबंधन, उनके कार्यक्षेत्र में आता है।

*****